पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–15] रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 सितम्बर, 2014 ई0 (भाद्रपद 29, 1936 शक सम्वत्) [संख्या–38

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	499–505	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	405–411	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	403–419	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	—	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

लोक निर्माण अनुभाग–1

अधिसूचना

प्रकीर्ण

01 सितम्बर, 2014 ई0

संख्या 958/III(1)/14-94(अधि0)/2010–श्री राज्यपाल महोदय, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियन्त्रण (कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) सेवा नियमावली, 2007 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियन्त्रण (कनिष्ठ अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियन्त्रण (कनिष्ठ अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता, सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–5 का संशोधन

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियन्त्रण (कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) सेवा नियमावली, 2007 (जिसे यहां मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रखा जायेगा।

स्तम्भ–एक (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
भर्ती का स्रोत, 5	भर्ती का स्रोत, 5
सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती उसी मानक के अनुसार 'सीधी भर्ती' तथा 'पदोन्नति' द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी, जो कि इस नियमावली के प्रख्यापन से ठीक पूर्व संगत नियमों/शासनादेशों में विहित हो।	(क) सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती उसी मानक के अनुसार 'सीधी भर्ती' तथा 'पदोन्नति' द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी, जो कि इस नियमावली के प्रख्यापन से ठीक पूर्व संगत नियमों/शासनादेशों में विहित हो। (ख) मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ अभियन्ताओं (सिविल, प्राविधिक, विद्युत एवं यांत्रिक) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस

रूप में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुऐ ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा;

परन्तु यह कि अपर सहायक अभियन्ता (सिविल, प्राविधिक, विद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर पदोन्नति कनिष्ठ अभियन्ता के कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष 85 प्रतिशत की सीमा तक ही की जायेगी।

अपर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप कनिष्ठ अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता के कर्तव्य एवं दायित्व समान होंगे तथा एक ही जॉब चार्ट के अधीन होंगे।

नियम–17 का संशोधन

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम, 17 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–एक (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
<u>पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया, 17</u>	<u>पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया, 17</u>
पदोन्नति द्वारा भर्ती के निमित्त वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो सेवा विशेष के सम्बन्ध में इस नियमावली के प्रख्यापन के ठीक पूर्व प्रचलित नियमों/शासनादेशों में विहित हो।	(क) पदोन्नति द्वारा भर्ती के निमित्त वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो सेवा विशेष के सम्बन्ध में इस नियमावली के प्रख्यापन के ठीक पूर्व प्रचलित नियमों/शासनादेशों में विहित हो। (ख) <u>अपर सहायक अभियन्ता (सिविल, प्राविधिक, विद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया–</u> (1) नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या उत्तराखण्ड राज्य के लिए आरक्षित श्रेणियों की रिक्तियों की संख्या सहित अवधारित करेगा। (2) अपर सहायक अभियन्ता के पद पर भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर निम्नवत् गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी:– (क) विभागाध्यक्ष– अध्यक्ष (ख) विभागाध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी, किन्तु अधीक्षण अभियन्ता के न्यून न हो– सदस्य

(ग) विभागाध्यक्ष कार्यालय में कार्यरत
स्टाफ आफिसर अथवा
समकक्ष अधिकारी– सदस्य

नोटः–उक्त चयन समिति में अध्यक्ष अथवा सदस्यों में से यदि कोई भी अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी का अधिकारी न हो तो उक्त श्रेणी के किसी अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा चयन समिति में नामित किया जायेगा।

नियम–23 का संशोधन

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम, 23 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–एक (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
वेतनमान, 23	वेतनमान, 23
(कनिष्ठ अभियन्ता)–	(कनिष्ठ अभियन्ता)–
(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाए।	(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाए।
(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान रू0 5000–150–8000 होगा।	(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान रू0 5000–150–8000 (पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 ग्रेड–पे रू0 4600) होगा।
	अपर सहायक अभियन्ता–
	अपर सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्त व्यक्तियों का वेतनमान रू0 9300–34800+ग्रेड–पे रू0 4800 होगा।

आज्ञा से,

डा0 एस0 एस0 सन्धु,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **No. 958/III(1)/14-94(Adhi.)/ 2010,** dated September 01, 2014 for general information.

NOTIFICATION

Miscellaneous

September 01, 2014

No. 958/III(1)/14-94(Adhi.)/2010--In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution of India, the Governor is pleased to make the following Rules with a *view* to amending the Uttarakhand, Public Works Department Subordinate Engineering (Junior Engineer. Civil, Technical, Electrical and Mechanical) Services Rules, 2007.

Uttarakhand, Public Works Department Subordinate Engineering (Junior Engineer and Additional Assistant Engineer Civil, Technical, Electrical and Mechanical) (Amendment) Service Rule, 2014.

Short Title and beginning

(1) These rules may be called the Uttarakhand Public Works Department Subordinate Engineering (Junior Engineer and Additional Assistant Engineer, Civil, Technical, Electrical and Mechanical) (Amendment) Service Rules 2014.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of Rule-5. In the Uttarakhand Public Works Department Subordinate Engineering (Junior Engineer Civil, Technical, Electrical and Mechanical) Service Rules 2007 (Hereinafter referred to as Principal Rules) for the existing Rules setout in column-1, below the rules as set out in column-2 shall be substituted; namely;

Column-1 (Existing Rule) 5. Source of Recruitment	Column-2 (Rules as hereby substituted) 5. Source of Recruitment
The recruitment to the various categories of posts in the service shall be made through Public Service Commission in accordance with the norms prescribed for 'Direct Recruitment' and 'Promotion' in the rules/government orders in force just before the publication of these rules.	(A) The recruitment to the various categories of posts in the service shall be made through Public Service Commission in accordance with the norms prescribed for 'Direct Recruitment' and 'Promotion' in the rules/government orders in force just before the publication of these rules. (B) By promotion from amongst substantively appointed Junior Engineers (Civil, Technical, Electrical and Mechanical) who have completed three years of service, as such, on the first day of the year of recruitment, on the basis of seniority subject to rejection of unfit. Provided that promotion to the post of Additional Assistant Engineer (Civil, Technical, Electrical and Mechanical) shall be limited to 85 percent of total sanctioned posts of Junior Engineer. Duty and responsibility will be same for Junior Engineer and Additional Assistant Engineer even after promotion to the post of Additional Assistant Engineer and will be under one job chart.

Amendment:- of Rules 17 In Principal Rules the existing rules-17 setout in column-1, below the rules as setout in column-2 shall be substituted; namely; i.e;

Column-1 **(Existing Rule)** **17. Procedure for Recruitment by promotion**	**Column-2** **(Rules as hereby substituted)** **17. Procedure for Recruitment by promotion**
Procedure for recruitment by promotion shall be same as prescribed in the respective rules/government orders in force just before the publication of these rules.	(A) Procedure for recruitment by promotion shall be same as prescribed in the respective rules/government orders in force just before the publication of these rules. **(B) Procedure for promotion to the post of Additional Assistant Engineer (Civil, Technical, Electrical and Mechanical).** 1- The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the year of recuritment including the number of vacancies reserved for categories belonging to the state of Uttarakhand. 2- The recruitment to the post of Additional Assistant Engineer shall be made on the basis of seniority subject to rejection of unfit, through constituting following selection committee:- (a) Head of Department– **Chairman** (b) Officer nominated by Head of Department but not below the rank of Superintending Engineer- **Member** (c) Staff Officer or equivalent officer, working in the office of Head of Department- **Member** Note :- If no one from amongst chairman or members in the selection committee blongs to scheduled caste/Scheduled tribe category then any officer belonging to such category will be nominated in selection committee by the Chairman.

Amendment of rules 23:- In Principal Rules for the existing Rules-23 setout in column-1, below the rules as setout in column-2 shall be substituted; namely; i.e;

Column-1 (Existing rule)	Column-2 (Rules as hereby substituted)
Scale of Pay 23	**Scale of Pay 23**
(Junior Engineer)	**(Junior Engineer)**
(1) The scales of pay, admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service, shall be such as may be determined by the government from time to time.	(1) The scales of pay, admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service, shall be such as may be determined by the government from time to time.
(2) The scale of pay at the time of commencement of these Rules, shall be Rs 5000-150-8000.	(2) The Scale of pay at the time of commencement of these Rules, shall be Rs 5000-150-8000 (Revised scale of pay payband-2 Rs. 9300-34800 Grade Pay Rs. 4600)
	Additional Assistant Engineer
	The scale of pay of persons appointed as Additional Assistant Engineer shall be Rs 9300-34800+Grade Pay- Rs 4800.

By Order,

DR. S.S. SANDHU,

Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 38 हिन्दी गजट/548–भाग 1–2014 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 सितम्बर, 2014 ई0 (भाद्रपद 29, 1936 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL

NOTIFICATION

July 10, 2014

No. 326/VI-A-6/2014/SLSA--Sri Dharmendra Kumar Singh, Secretary, District Legal Services Authority, Dehradun, is hereby sanctioned paternity leave for 15 days *w.e.f.* 04-06-2014 to 18-06-2014 in light of the G.O. No 819/xxvii(7)34/2010-11 dated 31st December, 2013 issued by Government of Uttarakhand.

By Order of Hon'ble Executive Chairman,

Sd/-

PRADEEP PANT,
Member Secretary.

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

05 जून, 2014 ई0

पत्रांक 1029/आयु0कर, उत्तरा0/फार्म–अनुभाग/2014–15/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली–2005 के नियम–30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म–16 जिनके खो जाने/चोरी हो जाने/मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम–30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ:–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक	फार्म/स्टैम्प को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1	2	3	4	5
1.	सर्वश्री शीलचन्द्र इण्ड0, लालपुर, किच्छा, टिन–05004553981	प्ररूप–XVI (06)	U.K.VAT-M2012 1919810 to 1619814, 1619818	खोने के कारण
2.	सर्वश्री श्रेया पैकेजिंग प्रा0लि0, काशीपुर, टिन–05006406875	प्ररूप–XVI (01)	U.K.VAT-M2012 2327657	खोने के कारण
3.	सर्वश्री आनन्द आडवानी, बरेली रोड़, हल्द्वानी, टिन–05001439311	प्ररूप–XVI (01)	U.K.VAT-M2012 2059154	खोने के कारण
4.	सर्वश्री सिद्धराजी ट्रेडिंग कम्पनी, आनन्द नगर बालावाला, देहरादून, टिन–05014115174	प्ररूप–XVI (02)	U.K.VAT-M2012 5002312, 5002313	खोने के कारण
5.	सर्वश्री नरेशान्जली एण्टर प्राईजेज, रानीविला बालावाला, देहरादून, टिन–05007034659	प्ररूप–XVI (01)	U.K.VAT-M2012 2064841	खोने के कारण

पीयूष कुमार,
एडीशनल कमिश्नर वाणिज्यकर,
मुख्यालय, देहरादून।

(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

19 जून, 2014 ई0

पत्रांक 1221/आयु0क0उत्तरा0/फार्म–अनु0/2014–15/केन्द्रीय फार्म–सी/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तराखण्ड) नियमावली–2006 के नियम–8(13) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित "फार्म–सी" जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इन फार्म्स के प्रयोग को अवैध घोषित करता हूँ:–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम, पता व टिन नं0	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज/क्रमांक	फार्म को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1	2	3	4	5
1.	सर्वश्री एस0जी0 इण्टरप्राईजेज, सुल्तानपुर पट्टी, बाजपुर, टिन नं0–05006472253	(Form-C)--04	U.K.VAT/C-2007 879803, 879834 to 879836	खोने के कारण
2.	सर्वश्री आकांक्षा मार्बल्स, मुरादाबाद रोड़, काशीपुर, टिन नं0–05002473913	(Form-C)--01	U.K.VAT/C-2012 0120338	खोने के कारण
3.	सर्वश्री सेन्चुरी पल्प एण्ड पेपर, घनश्याम धाम, लालकुंआ, टिन नं0–05001266166	(Form-C)--03	U.K.VAT/C-2007 976180 to 976182	खोने के कारण

1	2	3	4	5
4.	सर्वश्री राजश्यामा कंस्ट्रक्शन (प्रा0)लि0, रुद्रपुर, टिन नं0–05007151253	(Form-C)--04	U.K.VAT/C-2007 326024, 329457, 576329, 576314	खोने के कारण
5.	सर्वश्री सत्यम ऑटोकम्पोनेन्ट लि0, प्लॉट नं0–3 पी 8, सैक्टर–10–IIE, सिडकुल हरिद्वार, टिन नं0–05007329248	(Form-C)--03	U.K.VAT/C-2007 1182245 to 1182247	खोने के कारण

दिलीप जावलकर,
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

NOTIFICATION

June 19, 2014

No. 1221/Com.Tax/Form/Lost/Stolen/Destroyed/2014-15/D.Dun--Whereas, information have been received regarding Lost/Stolen/Destroyed "Form-C" enlisted below.

I, Commissioner Tax, Uttarakhand in exercise of the powers conferred by Rule 8(13) of Central Sales Tax (Uttarakhand) Rules 2006, hereby declare that "Form-C" bearing serial no. as listed below, should be considered as invalid for all purposes:--

Sl. No.	Name, Address and Tin No. of Dealers	No. of Lost/Stolen/ Destroyed Forms	Sl.No. of Lost/Stolen or Destroyed Forms	Reasons for declaring the forms obsolete or invalid
1.	M/s S.G. Enterprises, Sultanpur Patti, Bazpur. Tin No-05006472253	(Form-C)–04	U.K..VAT/C-2007 879803, 879834 to 879836	Lost
2.	M/s Aakanksha Marbles, Muradabad Road, Kashipur. Tin No-05002473913	(Form-C)–01	U.K..VAT/C-2012 0120338	Lost
3.	M/s Century Pulp & Paper, Ghansyam-dham, Lalkua. Tin No-05001266166	(Form-C)–03	U.K..VAT/C-2007 976180 to 976182	Lost
4.	M/s Rajshyama Construction (Pvt.) Ltd. Rudrapur. Tin No-05007151253	(Form-C)–04	U.K..VAT/C-2007 326024, 329457, 576329, 576314	Lost
5.	M/s Satyam Autocomponents Ltd. Plot No-3-P8,Sec-10 IIE, Sidcul Hardwar. Tin No-05007329248	(Form-C)–03	U.K..VAT/C-2007 1182245 to 1182247	Lost

DILIP JAWALKAR,
Commissioner Tax, Uttarakhand.

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

23 जून, 2014 ई0

सं0 602/2014/141(120)/XXVII(8)/2008–चूंकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अत्एव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27, वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4), सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची–III में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

संशोधन

अनुसूची–III के क्रमांक 1 के खण्ड (क) पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी; अर्थात्:–

क्र0 सं0	माल का वर्णन	कर का बिन्दु	कर की दर प्रतिशत
1	2	3	4
	(क) सभी प्रकार की स्प्रिट और स्प्रिटमय शराब जिसमें मिथाइल अल्कोहल और संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल ऑयल और अल्कोहल विक्रयकराधान अधिनियम, 1939 के अधीन यथा परिभाषित अल्कोहल सम्मिलित है, किन्तु देशी शराब एवं "उत्तराखण्ड राज्य में उत्पादित फलों से विनिर्मित वाईन **(wine)**" सम्मिलित नहीं है	नि0 या आ0	15 प्रतिशत

आज्ञा से,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification **No. 602/2014/141(120)/XXVII(8)/2008,** dated June 23, 2014 for general information.

NOTIFICATION

June 23, 2014

No. 602/2014/141(120)/XXVII(8)/2008--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow, the following amendment in Schedule-III of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 with effect from the date of publication of this notification in Gazette:--

AMENDMENT

In Schedule-III, for the existing entry at clause (a) of serial no. I, the following entry shall be substituted ; namely:--

Sl. No.	Description of Goods	Point of Tax	Rate of Tax Percentage
1	2	3	4
	(a) Spirits and spirituous liquors of all kinds including Methyl Alcohol, Alcohol as defined under the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel oil and Alcohol Taxation Act, 1939 but excluding country liquors and "wine, manufactured from fruits produced in Uttarakhand State."	M or I	15 percent

By Order,

RAKESH SHARMA,

Additional Chief Secretary.

(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

30 जुलाई, 2014 ई0

पत्रांक 1816/आयु0कर उत्तरा0/फार्म–अनु0/2014–15/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली–2005 के नियम–30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म–16 जिनके खो जाने/चोरी हो जाने/मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम–30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ:–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक	फार्म/स्टैम्प को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1	2	3	4	5
1.	सर्वश्री ट्रोईका फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड सी–1, सारा इण्डस्ट्रीयल एरिया, रामपुर, टिन–05005654543	प्ररूप–XVI (22)	U.K.VAT-M2012 0988439, 0988447, 0988531, 0988555, 0988598, 0988620, 1856819, 1856836, 1857106, 1867536, 1867656, 1867668, 1867699, 1856827, 1856855, 1856864, 1856885, 1867396, 1867419, 2116339, 2712460, 2737202	खोने के कारण
2.	सर्वश्री हॉरिजन रिक्लेम (इण्डिया) प्रा0लि0, लॉकेश्वरी भगवानपुर, रुड़की, टिन–05006868110	प्ररूप–XVI (15)	U.K.VAT-M2012 0433401, 0562111, 0562112, 0562098, 0734592, 0734601, 1063611, 2850721, 2850750, 2850751, 1295358, 1295371, 2952035, 3034906, 3034907	खोने के कारण
3.	सर्वश्री राशि पेरीफेरल्स प्रा0लि0, 11 चकराता रोड़, बिहाइंड एल0आई0सी0 ऑफ इण्डिया, टिन–05000958676	प्ररूप–XVI (10)	U.K.VAT-M2012 0865687, 1921338, 1921420, 1929773, 1929785, 2172096, 3198339, 3198446, 3198466, 3198557	खोने के कारण

पीयूष कुमार,
एडीशनल कमिश्नर वाणिज्यकर,
मुख्यालय, देहरादून।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

30 जुलाई, 2014 ई0

पत्रांक 977 / टी0आर0 / पंजी0नि0 / एचआर58–3850 / 2014–वाहन संख्या एचआर58–3850 मॉडल 1997 चेसिस संख्या 373011DSQ714046 तथा इंजन नं0 697D22DSQ747551 कार्यालय में श्रीबालाजी ट्रान्सपोर्ट डी1डी2, आदर्श कालोनी, रुद्रपुर जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 16–07–2014 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31–07–2014 तक जमा है। वाहन फाईनैन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या एचआर58–3850 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 373011DSQ714046 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

30 जुलाई, 2014 ई0

पत्रांक 978 / टी0आर0 / पंजी0नि0 / एचआर38ए–0548 / 2014–वाहन संख्या एचआर38ए–0548 मॉडल 1995 चेसिस संख्या 360324HUQ726530 तथा इंजन नं0 697D23HUQ776293 कार्यालय में श्री प्रवेश कुमार बब्बर पुत्र श्री वेद प्रकाश बब्बर, निवासी आदर्श कालोनी, रुद्रपुर जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 16–07–2014 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31–07–2014 तक जमा है। वाहन फाईनैन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या एचआर38ए–0548 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 360324HUQ726530 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

14 अगस्त, 2014 ई0

पत्रांक 1034 / टी0आर0 / पंजी0नि0 / एचआर38जी–1578 / 2014–वाहन संख्या एचआर38जी–1578 मॉडल 1997 चेसिस संख्या 360324ETQ715457 तथा इंजन नं0 697D23ETQ747663 कार्यालय में श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री गोपी राम, निवासी मीरा मार्ग, रुद्रपुर जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 12–08–2014 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर

संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31–08–2014 तक जमा है। वाहन फाईनैन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या एचआर38जी–1578 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 360324ETQ715457 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

नन्द किशोर,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 38 हिन्दी गजट/548–भाग 1–क–2014 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 सितम्बर, 2014 ई0 (भाद्रपद 29, 1936 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल द्वारा, टिहरी बांध जलाशय में नौकायन की गतिविधियों के संचालन हेतु निर्गत अधिकार पत्र हेतु संशोधित उपविधियाँ

01 सितम्बर, 2014 ई0

संख्या 842 / 23–5(8)(2011–12)–जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल ने उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त की धारा 239(2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जनपद टिहरी गढ़वाल में टिहरी / कोटेश्वर बांध की झील में नौकायान, जलक्रीड़ा आदि गतिविधियों के संचालन एवं विनियन्त्रण करने के उद्देश्य से उपविधियाँ बनायी गयी थी किन्तु प्रमुख सचिव, पर्यटन / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्, देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक 19–05–2011 को आहुत बैठक में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत टिहरी बांध जलाशय में संचालित की जाने वाली नौकायन एवं जलक्रीड़ा आदि गतिविधियों के संचालन हेतु जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल को लाइसेंस निर्गत करने हेतु अधिकृत किया गया था जिसके क्रम में जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल द्वारा उपविधियाँ बनाकर कर आयुक्त गढ़वाल मण्डल के अनुमोदन उपरान्त दिनांक 21 अप्रैल, 2012 को सरकारी गजट पारित करवा कर जारी किया गया था।

उक्त के क्रम में सरकारी गजट, उत्तराखण्ड़ असाधारण, विधायी परिशिष्ट,भाग–1, खण्ड (क) (उत्तराखण्ड़ अधिनियम) देहरादून, सोमवार, 01 अप्रैल, 2013 ई0 चैत्र 11, 1935 शक सम्वत् उत्तराखण्ड़ शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग के आदेश संख्याः–144/XXXVI(3)/2013/13(1)/2013 देहरादून, 01 अप्रैल, 2013 से अधिसूचित "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित एंव उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र (पर्यटन का नियोजित विकास और उन्नयन) विधेयक 2013, की धारा–5(1) के तहत्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन, पर्यटन, संस्कृति एंव खेलकूद अनुभाग–1 के आदेश संः– 3226/VI(1)/2013–3(1)2010 दिनांकः– 17 अक्टूबर, 2013 के द्वारा टूरिज्म एरिया विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत टिहरी झील क्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठन के निर्णय कि प्राधिकरण को टिहरी झील एरिया में पर्यटन सम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधियो को संचालित करने हेतु अधिकृत किया जायेगा एंव जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल उक्त प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगें। सचिव, उत्तराखण्ड शासन, पर्यटन, के उपरोक्त उल्लेखित आदेश के द्वारा टिहरी झील क्षेत्र में नौकायन हेतु अधिकार पत्र निर्गत किये जाने के लिये जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को अधिकृत किया गया है। ऐसे मे जिला पंचायत टिहरी की पूर्व की उपविधियो मे संशोधन करते हुए निम्न उपविधियां बनायी जाती है। उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अन्तर्गत आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी इन उपविधियो को सरकारी गजट मे प्रकाशन हेतु पुष्टि करते है यह उपविधियां शासकीय गजट मे प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

उपविधियां

01:– यह उपविधियां टिहरी बांध की झील जिसका परिक्षेत्र, जनपद उत्तरकाशी की सीमा चिन्याली सौड़–नगुण–सरोट से लेकर भिलंगना तक तथा कोटेश्वर बांध से बनी झील पर नौकायन एवं जलक्रीड़ा को प्रोत्साहन देने तथा झील क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटन क्षेत्र के रुप में विकसित करने एंव पर्यटकों/यात्रियों/स्थानीय जन–मानस हेतु जल यातायात एवं जलक्रीड़ा संचालन सम्बन्धी उपविधिं कहलायेगी।

02:– यह उपविधियां आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल के अनुमोदन की तिथि से लागू मानी जायेगी।

03:– इस उपविधियां के अन्तर्गत टिहरी बांध की 02 किलोमीटर (जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा निर्धारित) की परिधि (भागीरथी–भिलंगना घाटी को जोड़ने हेतु प्रतापनगर की ओर 60 मीटर के कोरिडोर को छोड़कर) में किसी प्रकार की नौकायन, जलक्रीडा इत्यादि गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगी।

04:– Northern Ferries Act-1878 एवं The Inland Vessels Act-1917 के नियमों/प्राविधानों के दृष्टिगत झील के दोनों ओर की सीमाओं को सम्मिलित किया गया है।

05:—<u>लाईसेंस की शर्तें</u>:—

5.1:— यन्त्रचालित बोट में लाईसेन्सधारी द्वारा अपने बोट में प्रदूषण रहित यन्त्रों को लगाना अनिवार्य होगा, जिससे बोट से निकलने वाले धुएं से झील में जीव जन्तुओं को नुकसान न होने पायें।

5.2:— सक्षम प्राधिकारी से प्रदूषण रहित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर लाइसेन्स जारी होगा।

5.3:— प्रत्येक बोट संचालक नान—डिग्रेडेबिल बायोमासेस, को कूडादानों में इकट्ठा करके वापस शहरों में लाकर रिसाइक्लिंग करवायेगें तथा कूडा करकट झील में नहीं बहाया जायेगा एवं इस पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।

5.4:— फेरी बोट में एक चेम्बर मल—मूत्र इत्यादि, निस्तारण हेतु आरक्षित रहेगा तथा झील की स्वच्छता का ध्यान रखा जायेगा ताकि पर्यावरण पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव न पडे, झील में किसी प्रकार का निःप्रयोज्य द्रव्य व मल—मूत्र तथा कूडा अदि डालना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। आदेश की अवहेलना की स्थिति में उत्तराखण्ड की नदियों में प्रदूषण एंव अन्य किसी प्रकार के प्रदूषण फैलाने हेतु प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण अधिनियम 1981 में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

5.5:— लाइसेंसधारी को बोट में प्रर्याप्त मात्रा में उच्चस्तरीय लाईफ जाकेट उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक नाविक/मल्लाह/बोट कार्मिक एवं सवारी को यातायात के दौरान लाईफ जाकेट पहनना अति अनिवार्य होगा।

5.6:— बोट का संचालन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही अनुमत होगा।

5.7:— बोट का संचालन निर्धारित स्थल से निर्धारित स्थल तक अनुमन्य होगा।

5.8:— सामान्य वोटों के संचालन हेतु लाईसेन्सधारी अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल से एवं टिहरी झील में साहसिक कीड़ाओं के संचालन हेतु जिलाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, टिहरी झील विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करेगा तथा उपरोक्त उल्लेखित की अनुमति के बिना न तो किसी को किटगण के तौर पर नाव चलाने का ठेका देगा, न ही किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करेगा और ना ही किसी प्रकार की साहसिक गतिविधियों का संचालन करेगा।

5.9:— लाईसेंन्सधारी प्रत्येक दशा में बोट को सुरक्षित एवं अच्छी दशा में रखने हेतु उत्तरदायी होगा।

5.10:— प्रत्येक नाव के साथ यात्रियों को चढाने एंव उतारने हेतु रस्सीयां, तख्ते एवं अन्य व्यवस्था लाईसेन्सधारी अपने खर्चे से वहन करेगा।

5.11:— प्रत्येक नाव पर प्राप्त लाइसेन्स की संख्या, सुरक्षित भार वहन क्षमता, यात्रियों की अधिकतम निर्धारित संख्या नाव के बाहरी हिस्से में बडे अक्षरों में अंकित करनी होगी।

5.12:— प्रत्येक नाव के बाहरी आकार पर डूबे रहने वाले जलस्तर (सुरक्षित) को देखने के लिए दो मोटी लाल रेखाएं नाव के दोनों ओर अंकित करनी होगी।

5.13:– लाईसेन्सधारी को जिला पंचायत द्वारा निर्धारित किराया दर के आधार पर ही पर्यटकों/यात्रियों से शुल्क लेना अनिवार्य होगा तथा शुल्क के रुप में यात्रियो/पर्यटकों को छपी हुए टिकिट देना अनिवार्य होगा।

5.14:– फेरी बोट सामान्यतः सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही चलायी जायेगी, रात्रि पर चलने वाली नावों पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी, लाईसेन्सधारी का दायित्व होगा कि भयंकर तूफान, आंधी एवं बाढ आदि परिस्थितियों में नावों को नही चलायेगा।

5.15:– लाईसेन्सधारी मरम्मत योग्य नावों को किसी भी दशा में नही चलायेगा। शासन व जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी नौकाओं का निरीक्षण कर सकते हैं तथा अनुपयुक्त पायी गयी नौकाओं को रोक सकते हैं, जिनका लाईसेन्सधारी को अनुपालन करना होगा।

5.16:– लाइसेंसधारी को प्रत्येक नौका के लिये नियमानुसार यथोचित मात्रा में प्रशिक्षित चालकों हेतु समय–समय पर तैराकी के प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी तथा लाईसेन्सधारी, चालकों के उचित आचरण के लिये उत्तरदायी होगें।

5.17:– लाईसेन्सधारी को नौका के साथ–साथ प्रत्येक यात्री/पर्यटक का रु0 5.00 लाख की दर से (3rd Party Public & Property Liability Insurance) बीमा करवाना आवाश्यक होगा, जिसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा। बीमा का नवीनीकरण न कराये जाने की स्थिति में बोट संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

5.18:– लाईसेन्सधारी तथा उसके प्रतिनिधि को ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति समूह की सूचना, जो नावों में आवागमन करें और जिनके सम्बन्ध में उन्हें किसी प्रकार के अपराधी होने की जानकारी हो या आशंका हो, की सूचना तुरन्त निकटवर्ती पुलिस स्टेशन को देनी होगी व ऐसे व्यक्ति, जो कि संदिग्ध अवस्था में हो उसे लाईसेन्सधारी नौका बिहार नहीं करायेगा।

5.19:– लाईसेन्सधारी को मदिरा पान किये व्यक्तियों को नौका पर बैठाना प्रतिबन्धित रहेगा तथा बोट चालने वाले आपरेटर/नाविक/मल्लाह को भी मदिरा पान एवं अन्य नशीली बस्तुओं का उपयोग करना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

5.20:– लाईसेन्सधारी को अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत एंव जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा समय–समय पर अधिकृत व्यक्तियों को निःशुल्क आवागमन की सुविधा प्रदान करनी अनिवार्य होगी। जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा अधिकृत व्यक्ति/समिति को बोट की जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5.21:– उन नावघाटों पर, जहां वन उत्पादों को आवागमन होता हो, लाईसेन्सधारी का दायित्व होगा कि वह ऐसे वन उत्पादों के आवागमन की अनुमति न दें।

5.22:– धार्मिक संस्थाओं को यदि किसी विशेष आवागमन के लिये प्रशासन द्वारा कोई अनुमति प्रदान हो तो लाईसेन्सधारी उक्त को प्राथमिकता के आधार पर आवागमन की सुविधा उपलब्ध करायेगा।

5.23:– विशेष मेला या उत्सव के लिये उपरोक्त वर्णित सामान्य व्यवस्था के अतिरिक्त वह व्यवस्था करनी होगी जो जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल निश्चित करेंगें।

5.24:– प्रत्येक बोट में बच्चों के उपयोग हेतु 10 प्रतिशत लाईफ जाकेट का प्राविधान किया जाये।

5.25:– प्रत्येक बोट में समुचित मात्रा में अग्निशम यंत्रों का संयोजन अनिवार्य होगा।

5.26:– प्रत्येक बोट ISO सर्टिफाईड कम्पनी द्वारा निर्मित होना अनिवार्य होगा।

5.27:– एक परिवार में मात्र एक बोट हेतु ही लाइसेंस निर्गत किया जायेगा, परिवार का तात्पर्य माता–पिता एवं पति–पत्नि से है।

06:–प्रत्येक नाविक/मल्लाह हेतु शर्तें:–

6.1:– प्रत्येक बोट में प्रशिक्षित चालक एवं सहचालक की तैनाती अनिवार्य होगी, चालक अथवा सहचालक में से एक को तैराकी का ज्ञान होना अनिवार्य होगा, फेरी बोट की दशा में यह चालक एवं सहचालक दोनों पर लागू होगा। जिस हेतु उनके द्वारा सक्षम संस्था से निर्गत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा अथवा निर्धारित समिति के सम्मुख अपनी तैनाती का प्रदर्शन करना होगा।

6.2:– चालक एवं सहचालक को लाइसेंस प्राप्ती के एक माह की सीमा के अर्न्तगत प्राथमिक चिकित्सा ज्ञान का प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना होगा।

6.3:– मोटर चालित नौका के चालक/आपरेटर के मोटर चालित नौका को चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त होना आवश्यक है। उक्त प्रशिक्षण का प्रमाण–पत्र आवेदक द्वारा लाइसेंस प्राप्ती की एक माह की सीमा में उपलब्ध कराना होगा अन्यथा लाइसेंस स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

6.4:– फेरी बोट के चालक एवं सहचालक दोनों को मोटर चालित नौका को चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त होना आवश्यक होगा। उक्त प्रशिक्षण का प्रमाण–पत्र आवेदक द्वारा लाइसेंस प्राप्ती के एक माह की सीमा में उपलब्ध कराना होगा, अन्यथा लाइसेंस स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

6.5:– फेरी बोट लाइसेंस हेतु नौसेना के भूतिपूर्व सैनिको एवं अन्य ऐसे व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी जिनको कि इस क्षेत्र में अनुभव हो।

6.6:– वोट संचालन के अनुभवधारी अथवा अनुभवधारी के सहभागी होने की दशा में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

07:–लाइसेंस की अवधि एवं नवीनीकरण :–

लाईसेन्स की अवधि एक वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी, वर्ष की समाप्ति पर निर्धारित शुल्क जमा कर लाईसेन्स का नवीनीकरण करवाना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा निर्धारित समिति को लाईसेन्स जारी/नवीनीकृत किये जाने का अधिकार प्राप्त होगा, नवीनीकरण में विलम्ब हेतु 5 प्रतिशत/ प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क वसूली के साथ लाईसेन्स का नवीनीकरण किया जायेगा। प्रतिवर्ष लाईसेन्स शुल्क में परिवर्तन किये जाने हेतु जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल सक्षम होगें।

08:–प्रथम चरण में निर्गत किये जाने वाले लाइसेंसों की संख्या :–

8.1:– प्रथम चरण में निर्गत किये जाने वाले लाईसेन्सों की संख्या असीमित होगी।

8.2:– प्रथम चरण में निर्गत लाइसेंसों में बैक वाटर में बोट संचालन हेतु जनपद टिहरी के निवासियों एवं डूब क्षेत्र के प्रमाण–पत्र धारियों को 100 प्रतिशत लाइसेंस निर्गत किये जायेंगे।

8.3:– जनपद टिहरी के निवासियों द्वारा संचालित स्वयम् सेवी संस्थाओं को भी लाइसेंस प्राप्ति का अधिकार होगा। जिस हेतु उनको सस्था के रजिस्ट्रेशन की सत्यापित छायाप्रति आवेदन में संलग्न करनी होगी।

8.4:– पावर बोट संचालन के लाइसेंसों में जनपद टिहरी के मूल निवासियों एवं डूब क्षेत्र प्रमाण–पत्र धारियों हेतु 50 प्रतिशत लाइसेंस आरक्षित रहेगा। तथा 50 प्रतिशत लाईसेन्स सभी के लिये मान्य होगा। फेरी बोट एंव हाउस बोट के संचालन हेतु लाइसेंस अर्हताओं के आधार पर किसी को भी दिया जा सकेगा।

8.5:– आगामी चरणों में लाईसेन्स संख्या के निर्धारीकरण का अधिकार जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल के अधिकार में समाहित होगा।

8.6:– पर्यटन विषय में डिप्लोमाधारी जनपद के निवासियों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

09:–आवेदक हेतु अनिवार्य अर्हितायें :–

9.1:– टिहरी जनपद के आवेदकों को जनपद का मूल निवास, टिहरी डूब क्षेत्र प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति। जनपद के अन्य हेतु उत्तराखण्ड के मूल निवासी होने के प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।

9.2:– बोट लागत के सापेक्ष 100 प्रतिशत हैसियत प्रमाण–पत्र ।

9.3:– आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र। (साझेदारी फर्म/स्वयम् सेवी संस्था की दशा में प्रत्येक साझेदार/सदस्य के चरित्र प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति)।

9.4:– आवेदक के पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति। स्वयम् सेवी संस्था की दशा में अध्यक्ष/सचिव के पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।

9.5:– यदि आवेदक की कोई फर्म है तो टिन न0 की सत्यापित छायाप्रति।

9.6:– आवेदक द्वारा 100 रू0. के स्टाम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित) निर्धारित शपथ–पत्र ।

9.7:– प्रत्येक आवेदक को बोट लागत के सापेक्ष 05 प्रतिशत जमानत राशि आवेदन पत्र के साथ जमा करनी होगी जो कि बोट संचालन की स्थित में वापस देय होगी, बोट संचालित ना किये जाने की दशा में वह धनराशि जब्त की जायेगी ।

9.8:– आवेदक के शैक्षणिक प्रमाण–पत्र, मल्लाह/नाविक के शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/पर्यटन विषय के प्रशिक्षतों के डिप्लोमा सम्बन्धित प्रमाण–पत्र।

10:–आवेदन पत्र एंव अन्य औपचारिकताएं :–

10.1:– समिति द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र सशुल्क प्रदान किया जायेगा।

10.2:– आवेदन पत्र के साथ आवेदक द्वारा एक प्रोजेक्ट रिर्पोट सम्मिलित करनी होगी, जिसमें कि संचालित की जाने वाली बोट का प्रकार, पेसेन्जर कैरिंग कैपेसिटी, मेक, सक्षम संस्था द्वारा प्रदत्त बोट हेतु निर्धारित मानक पूर्ण होने का प्रमाण–पत्र एंव फिटनेश प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10.3:– आवेदन पत्र के साथ प्रयुक्त होने वालें इंजन का प्रकार एंव इंजन की क्षमता का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

10.4:– आवेदन पत्र के साथ बोट मैन्युफैक्चरिंग मैटल का उल्लेख किया जायेगा।

10.5:– बोट निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदत्त INVOICE एंव बोट के स्पेशिफिकेशन इत्यादि प्रपत्र।

10.6:– भारत सरकार अथवा अन्य शासकीय संस्था द्वारा बोट निर्माता कम्पनी को प्रदत्त बोट निर्माण की अनुमति की छायाप्रति।

झील में व्यावसायिक नाव/बोट (यन्त्र चालित/हाथ चालित/पैडल चालित) बोटों के संचालन हेतु चिन्हित स्थलों का विवरण

11:– बैक वॉटर में बिना यन्त्र चालित बोट संचालन हेतु चिन्हित स्थल :–

01:– स्यांसू गाड।

02:– जलकुर गाड।

03:– कोटी गाड।

11.1:– बैक वॉटर परिक्षेत्र के निर्धारण हेतु माह नवम्बर एंव फरवरी में सर्वेक्षण करवाकर क्षेत्र का निर्धारण किया जायेगा, उक्त हेतु अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड–22 टी0एच0डी0सी0आई0एल0 से झील स्तर लेकर, सर्वे उपरान्त क्षेत्र का सीमांकरन करेंगे।

11.2:– बैक वॉटर परिक्षेत्र में नौकायन की सीमा का प्रतिवन्धन बलूनिंग के माध्यम से किया जायेगा।

11.3:– बैक वॉटर परिक्षेत्र में कम क्षमता (5 सवारी तक) की यन्त्र चालित नौकाओं का संचालन भी अनुमत होगा।

12:– मुख्य झील में सीमित दायरे में संचालित होने वाली बोटों हेतु चिन्हित स्थल (पावर बोट 06 से 20 सीट तक)

क0सं0	चिन्हित स्थल (बोर्डिंग प्वाईंट)	बोट संचालन की परिधि
01	सरोट	सरोट से नगुण/कंडीसौड़ तक।
02	कण्डीसौड़	कण्डीसौड़ से सरोट/भल्डियाना तक।
03	डोबरा	डोबरा से भल्डियाना/कोटी तक।
04	कोटी	कोटी से डोबरा/मदन नेगी तक।
05	असेना–देवल	असेना–देवल से मदननेगी/घोन्टी तक।
06	घोन्टी	घोन्टी से असैना देवल/बौंर तक।

12.1:– उपरोक्त परिक्षेत्र में संचालित होने वाली बोटें निर्धारित सीमा क्षेत्र के मध्य संचालित होगीं।

12.2:– उपरोक्त परिक्षेत्र में संचालित होने वाली बोटें क्षेत्र की सीमा में झील की दूसरी ओर के वोर्डिंग प्वाईंट हेतु यातायात की सुविधा उपलब्ध करा सकेगें।

13:– मुख्य झील में संचालित होने वाली फेरी बोटों हेतु चिन्हित परिक्षेत्र (21 सीट से अधिक)

01:– कोटी – नगुण – कोटी।

02:– कोटी – भिलंगना– कोटी।

13.1:– फेरी बोट को परिक्षेत्र के मध्य आने वाले पडावों से यात्रियों को चढाने एंव उतारने का अधिकार प्राप्त होगा।

14:– हाउस बोट स्थापित किये जाने हेतु चिन्हित स्थलः–

01:– नगुण।
02:– सरोट
03:– कंडीसौड़
04:– कोटी
05:– नन्दगांव (बड़कोट क्षेत्र)

हाउस बोट संचालन हेतु विन्दु संः–05 में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तेः–

14.1:– हाउस बोट उल्लेखित स्थल के विपरीत किनारे पर ही स्थापित रहेंगी। हाउस बोट में रात्रि विश्राम करने वाले पर्यटकों को रोड हैड से Pick up एवं Dropping हेतु हाउस बोट को झील में गतिमान रहने का अधिकार प्रदान होगा।

14.2:– हाउस बोट संचालक स्थानीय उत्पादों का अधिक से अधिक प्रयोग हाउस बोट में करेंगे ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकें।

14.3:– हाउस बोट संचालक स्थानीय प्रतिकात्मक बस्तुओं के विपणन हेतु प्रयास करेंगे।

14.4:– हाउस बोट में मानकों के अनुसार डैक एरिया, किचन, स्टाफ ट्वाईलेट, स्टैंडर्ड साईज बैड रूम मय अट्ैच्ड ट्वाईलेट वाथरूम, डायनिंग एरिया एवं स्टियरिंग केबिन निर्धारित हो।

14.5:– प्रत्येक हाउस बोट में 24 घंटे विधुत एवं पानी की व्यवस्था की जानी अनिवार्य होगी।

14.6:– हाउस बोट हेतु आवेदन पत्र में हाउस बोट का डिजाईन एवं विस्तृत फ्लोर प्लान संलग्न करना होगा

14.7:– हाउस बोट निर्माता कम्पनी का ISO सर्टिफाईड होना आवश्यक होगा।

14.8:– हाउस बोट संचालक को सराय ऐक्ट में निहित प्राविधानों का अनुपालन करना होगा।

15:– <u>वाटर स्पोर्ट्स हेतु नियम एवं शर्तें:–</u>

15.1:– टिहरी एवं कोटेश्वर झील में निम्नलिखित वाटर स्पोर्ट्स संचालित करने की अनुमति जिलाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, टिहरी विशेष क्षेत्र (पर्यटन) विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जायेगी:–

01	क्याकिंग एवं कनोईंग	02	वाटर स्कीईंग (प्रत्येक प्रकार की)
03	वाटर स्कूटर राईड	04	याट संचालन
05	वाटर पैरासेलिंग	06	बनाना वोटिंग
07	स्कूबा डाइविंग	08	पावर राफ्टिंग
09	स्कल संचालन	10	वाटर जौरविंग बाल संचालन
11	स्वीमिंग एक्टिविटि	12	एंगलिंग
13	रोईंग	14	जेट वोट
15	वाटर सर्फिंग	16	सलिंग
17	अन्य प्रकार के समस्त वाटर स्पोर्ट्स	18	पैराग्लाइडिंग

नोट:–उपरोक्त समस्त साहसिक क्रीड़ाओं हेतु लाइसेंस निर्गत करने का अधिकार जिलाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, टिहरी विशेष क्षेत्र (पर्यटन) विकास प्राधिकरण का होगा,तथा इस प्रयोजन हेतु प्राप्त होने वाली शुल्क की धनराशि का 25 प्रतिशत अंश जिला पंचायत को देय होगा।

15.2:– वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के संचालन हेतु वार्षिक अनुमति शुल्क निम्न प्रकार से निर्धारित है:–

क0स0	गतिविधि का नाम	वार्षिक अनुमति शुल्क (रु0)					
		सरोट	कंडीसौड़	डोबरा	कोटी	असेना–देवल	घोंटी
01	मैनुअल गतिविधि (क्याकिंग एवं कनोईंग, स्कल, याट, रोईंग सर्फिंग, सेलिंग इत्यादि)	20000	20000	20000	30000	15000	15000
02	इंजन युक्त मशीन द्वारा संचालित होने वाली प्रत्येक गतिविधि (वाटर स्कूटर, पावर वोट, पावर राफटिंग, जेट वोटिंग, इत्यादि)	40000	40000	40000	60000	30000	30000

नोट:– उपरोक्त उल्लेखित शुल्क में जिलाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, टिहरी विशेष क्षेत्र (पर्यटन) विकास प्राधिकरण आवश्यकतानुसार परिवर्तित कर सकते हैं।

15.3:– वाटर स्पोर्ट्स संचालन हेतु इच्छुक फर्मों को अनुमति पूर्व जिलाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, टिहरी विशेष क्षेत्र (पर्यटन) विकास प्राधिकरण द्वारा अधिकृत व्यक्ति को इक्यूपमेंट का निरीक्षण करवाना होगा।

15.4:– गतिविधि संचालन हेतु अनुदेशकों के प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र संलग्न करने होंगे।

15.5:– कम्पनी पोफाईल इत्यादि प्रमाण–पत्र ।

15.6:– प्रत्येक प्रतिभागी एवं अनुदेशक का इश्योरेंस ।

15.7:– प्रतिभागीयों की सुरक्षा हेतु रेसक्यू प्लान प्रस्तुत करना होगा।

15.8:– किसी भी दुर्घटना की दशा में एक वाहन की उपलब्धता गतिविध एरिया में रखनी होगी।

15.9:– अनुदेशक/संचालक को फस्ट ऐड ज्ञान के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

16:– लाईसेन्स शुल्क की दरें :–

क्रं0 सं0	बोट का प्रकार	वार्षिक अनुमति शुल्क (रु0)					
		स्यासू गाड		जलकूर गाड		कोटी गाड	
01	चप्पू बोट (2 सवारी)	4000		3000		10000	
02	साइकिल पैडल बोट (4 सवारी)	5000		4000		15000	
03	पावर बोट (अधिकतम 5 सवारी)	6000		5000		20000	
04	टूरिष्ट बोट 5–20 सीट तक	सरोट	कण्डीसौड़	डोबरा	कोटी	असेना देवल	घोन्टी
		15000	15000	15000	30000	10000	10000
05	फेरी बोट 20–50 सीट	कोटी –नगुण – कोटी			कोटी – भिलंगना– कोटी		
		75000			50000		
06	हाउस बोट 01–05 शयन कक्ष युक्त।	नगुण	सरोट	कण्डी सौड़	कोटी	नन्दगांव	
		25000	25000	25000	50000	25000	
07	हाउस बोट 06–10 शयन कक्ष युक्त	35000	35000	35000	60000	35000	

नोटः– ग्रीष्म ऋतु में झील के जलस्तर के घट जाने के फलस्वरूप प्रभावित होन वाले लाइसेंसेधारियों द्वारा सम्बन्धित अधिकारी की अनुमति उपरान्त निकटवर्ती स्थान पर वोट/गतिविधि संचालन की अनुमति होगी।

17:– लाइसेंस निर्गतन एवं आवेदनों की स्क्रीनिंग हेतु समितिः–

01:–अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, टिहरी विशेष क्षेत्र (पर्यटन) विकास प्राधिकरण।
02:–अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल।
03:–जिला पर्यटन विकास अधिकारी/जिला साहसिक खेल अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
04:–जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

18:– निर्धारित आवेदन पत्र का शुल्क रू0. 500/आवेदन निर्धारित है।

19:– आवदेन पत्र का प्रारूप संलग्न है।

20:– निर्धारित किराये का निर्धारण उपरोक्त वर्णित समिति द्वारा किया जायेगा एवं लाइसेंस धारी अपनी बोट के संचालन हेतु निर्धारित किराये की रशीद छपवाकर समिति से प्रमाणित करवा कर किराया वसूल करेगा।

21:– टिहरी विशेष क्षेत्र (पर्यटन) विकास प्राधिकरण, के अधिकार के अनुसार झील तक पहुंच मार्ग का सुधार, जेटी का निर्माण, रख–रखाव, ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रवन्ध इत्यादि का कार्य प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा, जिस हेतु जिला पंचायत को प्राप्त होने वाली आय में से टिहरी विशेष क्षेत्र (पर्यटन) विकास प्राधिकरण हिस्सेदारी निन्मानसुार निर्धारित की जाती हैः–

01:– टिहरी विशेष क्षेत्र (पर्यटन) विकास प्राधिकरण की हिस्सेदारीः– कुल आय का 75 प्रतिशत।

22:– यह उपविधि टिहरी वांध जलाशय में संचालित होने वाली प्रत्येक प्रकार(कमर्शियल/नाकमर्शियल एवं समस्त संस्थाओं (शासकीय/अर्द्वशासकीय/निकाय/जिला पंचायत/ग्राम पंचायत/निगम, कार्पोरेशन) के द्वारा संचालित की जाने वाली वोटों पर भी लागू होगी।

23:– राजस्व का दुरूपयोग/चोरी रोकने हेतु Online Booking की व्यवस्था की जायेगी।

टिहरी/कोटेश्वर झील में नौकायन/साहसिक क्रीड़ा गतिविधियों के संचालन हेतु लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र।

सेवा में,

.....

टिहरी गढ़वाल।

आवेदक का फोटो

महोदय,

मैं/हम.....पुत्र श्री.....

निवासी.....डाकघर.....तहसील.....

जिला.....राज्य.....टिहरी/कोटेश्वर बांध की झील में नौका संचालन हेतु आवेदन करता/करते हैं। इस संदर्भ में वांछित आवश्यक सूचना निम्न प्रकार से आपके आवलोकनार्थ प्रस्तुत है :–

1. आवेदक/आवेदकों का नामः–.....
.....
2. फर्म/स्वयम् सेवी संस्था का नामः–.....
.....
(फर्म/संस्था के पंजीकरण प्रमाण–पत्र एवं साझेदारी पत्र संलग्न करें)
3. आवेदक/आवेदकों का नाम व स्थाई पताः–.....
.....(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
4. डूब क्षेत्र जिसके निवासी रहे हैं का नामः–.....
(प्रमाण–पत्र संलग्न करें)
5. आयु अंकोंः–.....(शब्दों में):–.....
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. नौकायन/जलक्रीड़ा में प्रशिक्षण/अनुभव का विवरणः–.....
.....(प्रमाण–पत्रों की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें)।
7. आवेदक की शैक्षिक योग्यताः–.....
(प्रमाण–पत्रों की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें)

8. आवेदक जिन्होंने विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में पर्यटन विषय का अध्ययन किया हो और ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण की हो का विवरणः—.....
(प्रमाण—पत्रों की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें)

9. आवेदक की मासिक आयः—.....
(प्रमाण—पत्र संलग्न करें)

10. आवेदक की हैसियत मूल्यः—.....
(प्रमाण—पत्र संलग्न करें)

11. आवेदक योजना की संक्षिप्त प्रोजेक्ट रिर्पोट संलग्न करें:—.....
(परिशिष्ट—1 में दिये गये विवरण के अनुसार)

12. आवेदक को बोट हेतु कुल अनुमानित धनराशि की आवश्यकता होनी हैः—.....

13. आवेदक के पेन कार्ड का विवरणः—.....
(छायाप्रति संलग्न करें)

14. फर्म की दशा में टिन नं0 का विवरणः—.....
(छायाप्रति संलग्न करें)

15. क्या आवेदक या परिवार के किसी सदस्य द्वारा पूर्व में किसी वित्तीय संस्था/बैंक से ऋण लिया गया है। यदि हाँ, तो क्या वसूली तहसील/न्यायालय के माध्यम से हुई थी.....

16. प्रशिक्षित नाविक/नाविकों का विवरणः—

अ—नाविक का नाम व पता.....

ब—नाविक को नाव संचालन अनुभव का विवरणः—.....
(प्रमाण—पत्र संलग्न करें)

स—नाविक/नाविकों के द्वारा भारतीय सेना में सेवा का विवरणः—.....

द—नाविक/नाविकों के शैक्षिक योग्यता का विवरणः—.....
(प्रमाण—पत्र संलग्न करें)

य—नाविक/नाविकों के तैराकी ज्ञान का विवरणः—.....
(प्रमाण—पत्र संलग्न करें)

दिनांकः—

स्थानः—

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नामः—

फर्म/संस्था का नामः—

पूरा पताः—

मोबाईल न0:—

आवेदक द्वारा 100 रू के स्टाम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित) दिये जाने वाले शपथ पत्र

(सपथ पत्र समक्ष लाइसेंस निर्गत कर्ता)

मैं/हम .....पिता का नाम.....पता.....

.....

.....ईश्वर को साक्षी मानकर निम्नलिखित कथन शपथ पूर्वक बयान करता/करते हैं कि–

1:– मेरे/हमारे द्वारा दी गई टिहरी/कोटेश्वर बांध की झील में नौकायन हेतु लाईसेन्स प्राप्त करने के आवेदन पत्र पर सभी सूचनायें व तथ्य सही है तथा किसी भी सूचना को छिपाया नहीं गया है।

2– मैं/हम किसी न्यायालय द्वारा वर्तमान समय तक सज़ायाफ्ता नहीं हैं और ना ही मेरे/हमारे विरूद्व किसी भी न्यायालय में कोई वाद/कार्यवाही चल रही है।

3– टिहरी/कोटेश्वर झील में नौका संचालन हेतु लाईसेन्स के लिए सभी मापदण्ड पूरा करने हेतु जो भी सूचनायें भविष्य में आपके द्वारा मांगी जायेंगी उन्हें मेरे/हमारे द्वारा निर्धारित समय अवधि में आपको उपलब्ध कराया जायेगा।

4– आप या आप द्वारा अधिकृत कोई भी अविकरण विभाग हमारे द्वारा संचालित नौका का निरीक्षण कर सकते हैं।

5– टिहरी/कोटेश्वर झील में नौका संचालन के लाईसेन्स की शर्तों के अर्न्तगत समय–समय पर शासन एवं आप द्वारा जो भी नियम लागू किये जायेंगे मुझे/हमें मान्य होगें।

6– मेरे द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने उपरान्त तथा नाव संचालन से पूर्व निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्ति की जायेगी अन्यथा मेरा लाइसेंस स्वतः निरस्त समझा जायेगा जिस हेतु मैं स्वयम् उत्तरदायी हूंगा।

हस्ताक्षर शपथकर्ता–

<u>सत्यापन</u>

मैं/हम उपरोक्त शपथकर्ता इस शपथ पत्र के पैरा संख्याः–1 से 3 तक सभी कथनों को सही समझकर आज

दिनांक.....को स्थान.....पर सत्यापित कर अपने हस्ताक्षर किये देता हूं।

हस्ताक्षर शपथकर्ता–

परिशिष्ट–1

प्रोजेक्ट रिर्पोट तैयार करने हेतु दिशा–निर्देश

(नाव संचालन हेतु)

1. नाव संचालन हेतु चयनित स्थल का विवरणः–.....
2. संचालित की जाने वाली नाव का प्रकारः–.....
3. नाव की भार वहन क्षमता का विवरणः–.....
4. नाव निर्माता कंपनी का नाम एवं पताः–.....

   .....
5. निर्माता कंपनी को शासकीय संस्था द्वारा नाव निर्माण की अनुमति संख्याः–.....

   (छायाप्रति संलग्न करें)
6. नाव मूल्य का विवरणः–.....

   (Invoice संलग्न करें)
7. इंजन का विवरणः–.....
8. नाव निर्माता कंपनी को प्रदत्त ISO प्रमाण–पत्र की संख्या एवं विवरणः–.....

   (छायाप्रति संलग्न करें)
9. हाउस बोट की दशा में निम्नलिखित विवरणः–

   अ–फ्लोर डिजाइन

   ब– कक्षों/बाथरूम की माप का विवरणः–

   स–कक्ष में उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं का विवरणः–

   द– हाउस बोट में उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं का विवरणः–

   य– हाउस बोट में संचालित किये जाने वाले कक्षों की संख्याः–
10. नाव निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मैटल का विवरणः–.....
11. नाव में प्रयुक्त होने वाली लाईफ जाकेट की संख्या एवं मेक (मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी)का विवरणः–..

    .....

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों की सूची:–

01:– आवेदक का मूल निवास/स्थाई निवास की प्रमाणित छाया प्रति।

02:– डूब क्षेत्र प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।

03:– फर्म/स्वयम् सेवी संस्था के पंजीकरण की प्रमाणित छायाप्रति।

04:– जन्म तिथि प्रमाण–पत्र।

05:– शैक्षिक योग्यता के प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति।

06:– पैन न0/टिन न0 की प्रमाणित छाया प्रति।

07:– हैसियत प्रमाण–पत्र।

08:– नौका संचालन के अनुभव प्रमाण–पत्र।

09:– पर्यटन विषय में प्राप्त डिप्लोमा की प्रमाणित छायाप्रति।

10:– मासिक आय प्रमाण–पत्र।

11:– भूतपूर्व सैनिक होने के प्रमाण की प्रमाणित छायाप्रति।

12:– 100 रू0. मूल्य के स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र ।

13:– परिशिष्ट–01 के अनुसार निर्मित प्रोजेक्ट रिर्पोट।

14:– नाव निर्माता कम्पनी को नाव निर्माण हेतु भारत सरकार/सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति प्रमाण–पत्र की छाया प्रति।

15:– Certificate of Survey under the Inland Vessels Act-1917.

16:– नाव मूल्य का Invoice

17:– नाव निर्माता कम्पनी को प्रदत्त ISO संख्या।

18:– हाउस बोट हेतु फ्लोर डिजाइन।

लाइसेंस प्राप्त करने उपरान्त निर्धारित तिथि में उपलब्ध कराये जाने वाले प्रपत्र

01:–नाव के प्रदूषण प्रमाण–पत्र।

02:–3rd Party Public and Property Liability Insurance (धनराशि रु0 5.00 लाख) के प्रपत्र।

03:–नाविक के नाव संचालन के प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र।

04:–नाविक द्वारा तैराकी ज्ञान के प्रमाण–पत्र।

05:–नाविक के द्वारा प्राप्त फस्ट ऐड प्रशिक्षण का प्रमाण–पत्र।

06:–नाव में संयोजित अग्निशमन यंत्र संयोजन प्रमाण–पत्र।

BOAT LICENCE

License is granted to Shri/Smt./Km.....

Resident Of.....

.....

Owner of Registered Boat No.....Measuring Length.....Meters, Width..... Meters..... and Depth.....Meters to carry cargo or passanger to the extent specified below in the Area.....of Tehri Dam Reservior form.....Upto.....

under the restrictions and subjects to the penalties Laid down in the Northern Ferries Act-1878 &The Inland Vessels Act-1917.

01:- Licence Number :- Date:-

02:-Name of the owner :-

03:-Address of the Owner :-

04:-Registration No. :-

05:-Date Of Registration :-

06:-Rig And Equipment :-

07:-Capacity or weight, Cargo Permitted :-Fair Weather Foul Weather:-

08:-Number Of Passangers Allowed :-

09:-Name of Boat Driver/Nabik :-

10:-Address of Boat Driver/Nabik :-

11:-Numbers of Crew :-

Signature of Licensing Authority:-

Designation Of Authority:-

Note:-Two children under 12 years of age counted one adult.

शास्ति

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम–1961(उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा– 240 द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुये जिला पचांयत टिहरी गढवाल आदेश देती है कि उक्त किसी भी उपविधियो का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर 5000–00(पांच हजार रू0) का अर्थदंड दिया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्धी के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाय कि अपराधी(उल्लंघनकर्ता) निरन्तर उल्लंघन करता रहा है, 100 रू0 प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त रूप से अर्थदंड दिया जा सकता है अथवा अर्थदंड भुगतान न किये जाने की दशा में साधारण कारावास जो 3 माह तक का हो सकेगा, दिया जा सकता है।

आर0 के0 एन0 त्रिपाठी,
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
टिहरी गढ़वाल।

युगल किशोर पंत,
आई0ए0एस0,
प्रशासक/जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

सी0 एस0 नपलच्याल,
आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 38 हिन्दी गजट/548–भाग 3–2014 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।